

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलेक्टर (आ.प्र.सहा.एवं ना.सु.) जालोर

क्रमांक: / एफ 10() सहा. / स.बा.वि.से.रेस्टोरेशन / 2025 / 3854

दिनांक: - 16.10.2025

--: प्रशासनिक स्वीकृति आदेश :-

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों (भवनों) की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत/पुनरुत्थान हेतु कार्यालय उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जालोर के प्रस्ताव पत्रांक 551 दिनांक 18.09.2025 द्वारा क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों (आंगनवाड़ी भवनों) के तात्कालिक मरम्मत के प्रस्ताव प्राप्त होने पर जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 18.09.2025 में प्रस्तावों के अनुमोदन उपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक 3583 दिनांक 25.09.2025 से आ.प्र.सहा.एवं ना.सु.वि. जयपुर को भेजे गए प्रस्तावों के संदर्भ में विभागीय पत्रांक: एफ 8(26)आ.प्र.एवं सहा./बाढ़/प्रस्ताव/2025/राजकाज 18306767 दिनांक 14.10.2025 से जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 159/2025-26 की पालना में राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से निम्नलिखित क्षतिग्रस्त आंगनवाड़ी भवनों के तात्कालिक मरम्मत कार्यों की उनके आगे अंकित राशि अनुसार प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। प्रस्तावों में वर्णित अनुसार तहसील सांचौर के स्वीकृत कार्यों के लिए कार्यकारी एजेन्सी संबंधित पंचायत समिति सांचौर रहेगी एवं तहसील रानीवाड़ा के स्वीकृत कार्यों के लिए कार्यकारी एजेन्सी एडीपीसी समसा जालोर रहेगी :-

क्र.सं.	बाल विकास परियोजना ब्लॉक	तहसील क्षेत्र	कुल क्षतिग्रस्त आंगनवाड़ी भवनों की संख्या	तात्कालिक मरम्मत हेतु स्वीकृत राशि (लाखों में)
1.	सांचौर	सांचौर	10	12.60
2.	रानीवाड़ा	रानीवाड़ा	68	136.00
योग			78	148.60

कुल राशि अक्षरे एक करोड़ अड़तालीस लाख साठ हजार रुपये मात्र

उक्त व्यय बजट मद 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02-बाढ़ चक्रवात आदि 107-खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा पुनर्स्थापना (02)-(बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत) (01)-बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत, 21- अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेंस) प्रतिबद्ध के अन्तर्गत वहन किया जावेगा।

प्रशासनिक स्वीकृति की प्रमुख शर्तें :-

- स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे तथा एस.डी.आर.एफ. /एन.डी.आर.एफ. के तहत भारत सरकार से जारी नॉर्म्स दिनांक 10.10.2022 तथा आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावेगी।
- वे कार्य जो Defect Liability Period के तहत आते हैं, उनकी मरम्मत SDRF से देय नहीं है।
- विभाग द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया है अतः संबंधित विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग भवनों के रेस्टोरेशन पर न करें।
- प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होने आवश्यक है।
- बजट संबंधित कार्यकारी संस्था को न दिया जाकर जिला कलेक्टर स्तर से ही भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।
- राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त भवनों के Restoration हेतु विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश क्रमांक 16877134 दिनांक 30.07.2025 द्वारा गणना की जाये।
- कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
- उक्त राशि का व्यय एसडीआरएफ नॉर्म्स में अनुमत राजकीय भवनों के लिये ही किया जावे।
- विभाग द्वारा स्वीकृत की गई राशि का उपयोग जिन भवनों का उपयोग किया जा रहा है, उन भवनों की मरम्मत हेतु ही किया जावे।

Signature valid



Digitally signed by Pradeep Kesharao
Gawande
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.16 16:04:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18368711

- 10- इस स्वीकृति के आधार पर कार्यकारी एजेन्सी तकनीकी स्वीकृति जारी कर 03 दिवस में इस कार्यालय को प्रस्तुत करेगी। स्वीकृत तकमीने के अतिरिक्त अन्य कोई भी भुगतान देय नहीं होगा।
- 11- कार्यकारी एजेन्सी उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरांत यह रिपोर्ट भुगतान से पूर्व अवश्य भिजवाये कि कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही कराया गया है।
- 12- प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाई जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र कार्यकारी एजेन्सी द्वारा जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 13- क्षतिग्रस्त परिसम्पतियों के रेस्टोरेशन हेतु आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के दिशा निर्देश पत्रांक 16877134 दिनांक 30.07.2025 एवं विभाग के पत्रांक: एफ 8(26)आ.प्र.एवं सहा./बाढ़/प्रस्ताव/2025/राजकाज 18306767 दिनांक 14.10.2025 से जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 159/2025-26 में वर्णित शर्तों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे।

(डॉ.प्रदीप के गांवडे)
जिला कलेक्टर, जालोर

क्रमांक: /सम/25/ 3855-78

दिनांक:- 16.10.2025

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

- 1- संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 2- वित्तीय सलाहकार, आ.प्र.सहा.एवं ना.सु.वि. जयपुर को बजट आवंटन किये जाने बाबत।
- 3- जिला पुलिस अधीक्षक, जालोर।
- 4- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जालोर।
- 5- अतिरिक्त जिला कलेक्टर, प्रशासन, जालोर।
- 6- कोषाधिकारी, जालोर।
- 7- उपखण्ड अधिकारी, (समस्त)
- 8- विकास अधिकारी, पंचायत समिति सांचौर को कार्यकारी एजेन्सी होने से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- 9- अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, जालोर को कार्यकारी एजेन्सी होने से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- 10- उप निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, जालोर को प्रेषित कर लेख है कि कार्यकारी एजेन्सी से समन्वय स्थापित कर 03 दिवस में तकनीकी स्वीकृति जारी करवाकर इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।
- 11- बाल विकास परियोजना अधिकारी सांचौर/रानीवाड़ा।
- 12- अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड जालोर।
- 13- जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, जालोर।
- 14- निजी सहायक, जिला कलेक्टर, जालोर।
- 15-

जिला कलेक्टर, जालोर

Signature valid

Digitally signed by Pradeep Kesharao
Gawande
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.16 16:04:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18368711

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांक:- एफ.8(26)आ.प्र. एवं सहा./बाढ़/प्रस्ताव/2025/

जयपुर, दिनांक

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 159/2025-25

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ से क्षतिग्रस्त भवनो की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनरुत्थान हेतु जिला कलक्टर, जालोर को निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. विद्यालय भवनों हेतु:-

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के कारण से क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनरुत्थापना हेतु जिला कलक्टर, जालोर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 3583 दिनांक 25.09.2025 के आधार पर समग्र शिक्षा विभाग, जालोर तह. आहोर के 202 कार्यों हेतु राशि रूपयें 404.00 लाख, समग्र शिक्षा विभाग, जालोर तह. रानीवाडा के 254 कार्यों हेतु राशि रूपयें 508.00 लाख, समग्र शिक्षा विभाग, जालोर तह. वागोडा के 88 कार्यों हेतु राशि रूपयें 176.00 लाख, समग्र शिक्षा विभाग, जालोर तह. सांचौर के 287 कार्यों हेतु राशि रूपयें 574.00 लाख एवं समग्र शिक्षा विभाग, जालोर तह. चितलवाना के 310 कार्यों हेतु राशि रूपयें 620.00 लाख कुल 1141 कार्यों की मरम्मत हेतु राशि रूपयें 2282.00 लाख (अक्षरे रूपये बाईस करोड बयासी लाख मात्र) की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यक्षीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

2. आंगनवाडी भवनों हेतु:-

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के कारण से क्षतिग्रस्त आंगनवाडी भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनरुत्थापना हेतु जिला कलक्टर, जालोर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 3583 दिनांक 25.09.2025 के आधार पर समेकित बाल विकास परियोजना, जालोर तह. सांचौर के 10 कार्यों हेतु राशि रूपयें 12.60 लाख एवं समेकित बाल विकास परियोजना, जालोर तह. रानीवाडा के 68 कार्यों हेतु राशि रूपयें 136.00 लाख कुल 78 कार्यों की मरम्मत हेतु राशि रूपये 148.60 लाख (अक्षरे रूपये एक करोड अडतालीस लाख साठ हजार मात्र) की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यक्षीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

कुल 1141 विद्यालय भवनों हेतु राशि रूपयें 2282.00 लाख एवं कुल 78 आंगनवाडी भवनों हेतु राशि रूपयें 148.60 लाख कुल 1219 कार्यों हेतु राशि रूपयें 2430.60 लाख (अक्षरे रूपये चौबीस करोड तीस लाख साठ हजार मात्र) की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यक्षीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

1. विभाग द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया है अतः संबंधित विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग भवनों के Restoration पर न करें।

2. ✓ प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होने आवश्यक है।
3. जिला कलेक्टर विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों के लिए बजट की मांग एस.डी.आर.एफ. नोर्स अनुसार निर्धारित दर से गणना किये जाने के उपरान्त ऑनलाईन विभाग से करें।
4. ✓ बजट सम्बन्धित कार्यकारी संस्था को न दिया जाकर जिला कलेक्टर स्तर से ही भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
5. ✓ वे कार्य जो Defect Liability Period के तहत आती हैं, उनकी मरम्मत SDRF से देय नहीं है।
6. जिला कलेक्टर बजट की ऑन लाईन मांग किये जाने से पूर्व यह आश्चर्य कर लेवें कि बजट की मांग SDRF नोर्स के अन्तर्गत Ordinary Repair & Periodical Repair (15/20 प्रतिशत) के तहत अनुमत राशि से गणना करने के उपरान्त ही कुल राशि की मांग की जा रही है। राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़कों के Restoration हेतु विभाग द्वारा जारी क्रमांक 16877134 दिनांक 30.07.2025 द्वारा गणना की जाये।
7. ✓ कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
8. जिला कलेक्टर स्वीकृत कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करावें तथा कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि तत्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सके।
9. जिला कलेक्टर उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट भुगतान किये जाने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर लेवें कि कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही कराया गया है।
10. ✓ प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशांषा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाये जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधी से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
11. इस विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावे। इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्नलिखित बजट मद से किया जायेगा:-
2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
02- बाढ़, चक्रवात आदि।
107- खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना
(02)-(बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत)
[01]-[बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत]
21-अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेंस) (केन्द्रीय सहायता 75 प्रतिशत)
(राज्य निधि 25 प्रतिशत)
12. स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पाकालीन निविदाएं आमंत्रित कर कार्य कराए जा सकेंगे।
13. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजनाके दिशा-निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
14. उक्त राशि का व्यय एसडीआरएफ नोर्स में अनुमत राजकीय भवनों के लिये ही किया जावे।
15. विभाग द्वारा स्वीकृत की गई राशि का उपयोग जिन भवनों का उपयोग किया जा रहा है, उन भवनों की मरम्मत हेतु ही किया जावे।

16. निजी निक्षेप खाते से राशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट प्रयोजन के लिये ही जावे। बैंक खाते में हस्तान्तरण या अन्य प्रकार से विनियोजित किये जाने हेतु राशि का निजी निक्षेप खाते से आहरण नहीं किया जावेगा।
17. निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जावे। अनुपयोगी राशि यदि कोई हो तो दिनांक 31.03.2026 तक राजकोष में जमा करवाई जावे।
18. व्यय के लेखे महालेखाकार कार्यालय एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिये कार्यालय में अभिलेख सुरक्षित रखे जावे।

(शैफाली कुशवाहा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. जिला कलक्टर, जालोर को प्रेषित कर लेख है कि एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार आवश्यक बजट की गणना कर बजट की मांग विभाग से ऑनलाईन निर्धारित प्रारूप में करें तथा आपके द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति आवश्यक रूप से ऑनलाईन मांग के साथ अपलोड करावे।
समग्र शिक्षा विभाग, जालोर तह. आहोर के विद्यालय भवन मरम्मत के प्रस्ताव के क्र.सं. 06 में हॉस्टल हेतु राशि की मांग की गई है, उक्त कार्य नोर्म्स में अनुमत नहीं है। उक्त कार्य व उसकी राशि को कम करते हुए प्रस्ताव के शेष कार्य व उनकी राशि को स्वीकृत किया गया है।
7. वृत्तीय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर को बजट का आवंटन किये जाने हेतु।
8. कोष कार्यालय, जालोर।

शासन उप सचिव

Document certified by SHEFALI KUSHWAHA
<shfal.kushwaha04@gmail.com>

Digitally Signed by Shefali
Kushwaha
Designation Deputy Secretary To
Government
Date :14-10-2025 11:26:01

RajKaj Ref No.:
18306767
eSign DSC

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

Relief
31.7.25

पत्रांक: एफ.8(01) आ.प्र.एवं सहा/बाढ़/2025/RAJKAJ

जयपुर, दिनांक

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

विषय :- राज्य आपदा मोचन निधि में अनुज्ञेय प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़ से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के Restoration के संबंध में दिशा-निर्देश।

संदर्भ :- भारत सरकार द्वारा दिनांक 11.07.2023 को जारी राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्ड के बिन्दु संख्या 11 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि राज्य में मानसून के दौरान अनेक स्थानों पर बाढ़ के कारण सार्वजनिक परिसम्पत्तियों (जैसे सड़क, पुलिया, बांध, नहर, कुंआ, हैण्डपम्प, बिजली तंत्र, विद्यालय भवन, प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, महिला मण्डल, युवा केन्द्र, पंचायत घर, सामुदायिक भवन एवं आंगनबाड़ी भवन आदि) क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना रहती है। बाढ़ से सार्वजनिक परिसम्पत्तियों को होने वाली इस प्रकार की क्षति की तात्कालिक मरम्मत एवं पुनरुत्थान (Immediate Restoration) का प्रावधान राज्य आपदा मोचन नोर्म्स दिनांक 11.07.2023 के बिन्दु संख्या 11 में अनुज्ञेय है। इसके तहत उन्हीं कार्यों को हाथ में लिया जा सकता है, जिसके कारण आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य जन-जीवन प्रभावित होता है।

इस संबंध में गत वर्ष विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक 8981275 दिनांक 16.07.2024 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि बाढ़ से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत एवं पुनरुत्थान (Immediate Restoration) सम्बन्धी कार्यों के प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति की अभिशंषा उपरान्त जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण से अनुमोदित प्रस्ताव जिला कलक्टर इस विभाग को प्रेषित करेंगे। जिला कलक्टर (सहायता) इस विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में प्रस्ताव संबंधित कार्यकारी संस्थाओं से तैयार कराकर इस विभाग को भिजवाये जिसमें क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का वर्गीकरण, क्षति की दिनांक, क्षति की दिनांक को हुई वास्तविक वर्षा, क्षति का मुख्य कारण तथा क्षतिग्रस्त हिस्से की लोकेशन आदि की सूचना होना आवश्यक है, ताकि प्रस्तावों की समीक्षा किया जाना संभव हो सके। जिला कलक्टर द्वारा प्रेषित प्रस्तावों में यह प्रमाण पत्र अवश्य अंकित होना चाहिए कि प्रस्तावित कार्य बाढ़/अत्यधिक वर्षा से ही क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसकी तात्कालिक मरम्मत एवं पुनरुत्थान (Immediate Restoration) करवाया जाना आवश्यक है, ताकि सामान्य जन-जीवन प्रभावित न हो।

प्राकृतिक आपदाओं से सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने पर विभाग द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्रों में ही प्रस्ताव जिला स्तरीय गठित समिति के अनुमोदन करा कर भिजवाये जाने पर विभाग द्वारा जांच/परीक्षण कर अनुमोदन किये जाने के उपरान्त ही जिला कलक्टर कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी करेंगे। तकनीकी स्वीकृति कार्यकारी विभाग/संस्था द्वारा जारी की जायेगी तत्पश्चात् जिला कलक्टर कार्यालय तात्कालिक मरम्मत एवं पुनरुत्थान (Immediate Restoration) के लिए आवश्यक बजट की मांग इस विभाग को Online विभाग के वेबपोर्टल पर भेजेंगे।

इस विषय में निम्नलिखित दिशा-निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :-

1. प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के Restoration के प्रस्ताव जिला कलक्टर सर्वप्रथम उपखण्ड स्तरीय समिति से परीक्षण/सत्यापन करवायें। उपखण्ड स्तरीय समिति यह आश्वस्त होने के बाद कि परिसम्पत्ति की क्षति बाढ़ के कारण ही हुई है तथा सामान्य जन-जीवन को बाधित होने से बचाने के लिए उसकी तात्कालिक अस्थायी मरम्मत आवश्यक है, अपनी अभिशंषा जिला कलक्टर को प्रेषित करेगी।
2. उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा प्राप्त होने पर उक्त प्रस्तावों को जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कराते हुए जिला कलक्टर प्रस्ताव आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग को इस विभाग के निर्धारित प्रपत्र में भिजवायेंगे। प्रस्तावों के साथ यह प्रमाण-पत्र भी देना होगा कि प्रस्तावित कार्य बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुई परिसम्पत्ति से ही सम्बन्धित है एवं एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार ही है।
3. आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा जिला कलक्टर से प्राप्त प्रस्तावों का अनुमोदन किये जाने के उपरान्त जिला कलक्टर अनुमोदित कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति अपने स्तर पर जारी करेंगे।
4. सम्बन्धित विभाग/कार्यकारी संस्था, जिला कलक्टर द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी के स्तर से जारी करेंगे।
5. प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति जारी किये जाने के उपरान्त जिला कलक्टर, तात्कालिक अस्थायी मरम्मत एवं पुनरुत्थान (Immediate Restoration) के कार्यों हेतु, आवश्यक बजट की मांग एस.डी. आर.एफ. नोर्म्स अनुसार इस विभाग को Online प्रेषित करेंगे।
6. आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग से बजट आवंटन प्राप्त होते ही जिला कलक्टर बजट आवंटन को ध्यान में रखते हुए वित्तीय स्वीकृति जारी करेंगे।
7. वित्तीय स्वीकृति जारी होने के उपरान्त ही मरम्मत कार्य प्रारम्भ किया जावेगा। यदि बजट आवंटन से पूर्व कोई कार्य प्रारम्भ करा लिया जाता है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।

8. तात्कालिक मरम्मत एवं पुनरुत्थान (Immediate Restoration) कार्यों की तकनीकी स्वीकृति कार्यकारी एजेंसी/संस्था/संबंधित विभाग द्वारा सक्षम स्तर से जारी की जायेगी।
9. कार्यकारी एजेन्सी की वित्तीय शक्तियां PWF & AR एवं RTPP नियम के अनुसार मान्य होगी।
10. जिला कलक्टर द्वारा तात्कालिक मरम्मत एवं पुनरुत्थान (Immediate Restoration) कार्यों से संबंधित कार्यकारी एजेन्सी को बजट का हस्तान्तरण/आंवटन नहीं किया जाकर उनके द्वारा पारित बिलों के आधार पर अपने स्तर से ही भुगतान की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। इस संबंध में कृपया विभागीय पत्र क्रमांक 12199-231 दिनांक 03.10.2008 का अवलोकन करें, जिसमें स्पष्ट है कि रनिंग/फाइनल बिल का भुगतान जिला कलक्टर कार्यालय स्तर से कोष कार्यालय के मार्फत ही किया जाये।
11. बाढ़/अत्यधिक वर्षा से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की Restoration में यह ध्यान रखा जावे कि परिसम्पत्तियों का तात्कालिक मरम्मत एवं पुनरुत्थान (Immediate Restoration) ही किया जाना है, न कि नया निर्माण। इस सम्बन्ध में कृपया एस.डी.आर.एफ. नोर्स में दिये गये प्रावधानों की अक्षरतः रूप से पालना करें।
12. क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के Restoration कार्य, कार्य प्रारम्भ करने की तिथी से 30 दिवस तक आवश्यक रूप से पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करें।
13. राज्य आपदा मोचन निधि के बिन्दु संख्या 11 की पूर्ण पालना के अनुसार गणना कर क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के ही प्रस्ताव इस विभाग को प्रेषित करें।
14. भारत सरकार के एसडीआरएफ नोर्स अनुसार क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत एवं पुनरुत्थान करवाया जाना ही अनुमत है। नव निर्माण से संबंधित प्रस्तावों पर इस विभाग स्तर पर विचार नहीं किया जावेगा।
15. एसडीआरएफ नोर्स के बिन्दु संख्या (ड) (ज) में अंकित है कि "दूरसंचार और बिजली (बिजली आपूर्ति की तत्काल बहाली को छोड़कर) जैसे क्षेत्र, जो अपने स्वयं के राजस्व का अर्जन करते हैं, और अपने स्वयं के धन/संसाधनों से तत्काल मरम्मत/पुनर्स्थापन कार्य भी करते हैं, इसमें शामिल नहीं हैं।" विद्युत विभाग भी अपने स्वयं का राजस्व अर्जन करने वाला विभाग है। अतः एसडीआरएफ नोर्स के बिन्दु संख्या (ड) (ज) के अनुसार विद्युत विभाग से प्राप्त प्रस्तावों स्वीकृत करने हेतु इस विभाग को प्रेषित नहीं करे।
16. क्षतिग्रस्त नहरों/बांधों के प्रस्ताव भिजवाते समय जिला कलक्टर सम्बन्धित विभाग/कार्यालय से यह प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त करें कि नहरों का उपयोग सिंचाई/पेयजल कार्यों के लिये निरन्तर लिया जा रहा है तथा इसके क्षतिग्रस्त होने से इसका प्रभाव सामान्य जन जीवन पर हो रहा है। क्षतिग्रस्त नहरों/बांधों के तात्कालिक मरम्मत के प्रस्ताव भिजवाते समय यह स्पष्ट उल्लेख किया

- जावे कि प्रेषित प्रस्ताव लघु सिंचाई परियोजना से ही संबंधित है। लघु सिंचाई परियोजना के इस शर्त के साथ अध्यधीन होगी कि किसी भी चालू योजना के संबंध में कार्य की पुनरावृत्ति नहीं होगी।
17. पूर्व वर्षों में यह देखा गया है कि क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों (जैसे सडक, पुलिया, बांध, नहर, कुंआ, हैण्डपम्प, बिजली तंत्र, विद्यालय भवन, प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, महिला मण्डल, युवा केन्द्र, पंचायत घर, सामुदायिक भवन एवं आंगनबाडी भवन आदि) की मरम्मत हेतु माह दिसम्बर, जनवरी एवं फरवरी तक प्रस्ताव प्रेषित किये जाते है। एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स अनुसार तात्कालिक मरम्मत एवं पुनरुत्थान (Immediate Restoration) किया जाना ही अनुमत है।
18. जिला कलक्टर कार्यकारी संस्थाओ को राशि का भुगतान करने से पूर्व कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। उक्त प्रमाण- पत्र में यह भी अंकित करावे कि स्वीकृत कार्य स्वीकृत वर्ष 2025-26 में 31 मार्च से पूर्व ही सम्पादित करा लिये गये थे।
19. तात्कालिक Restoration के कार्य पूर्ण होने के उपरान्त जिला कलक्टर कार्यालय, संबंधित कार्यकारी संस्थाओं से, पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को इससे अवश्य अवगत करावे। समस्त कार्य बजट आवंटित किये गये वित्तीय वर्ष में ही पूर्ण किये जाने आवश्यक है। तात्कालिक Restoration के कार्यों से संबंधित देनदारियां आगामी वित्तीय वर्ष में ले जाने पर उनका भुगतान कार्यकारी संस्था द्वारा स्वयं के बजट मद से किया जायेगा। आपदा के समय करवाये गये कार्यों के बिलों का सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी, कार्यकारी संस्था के तकनीकी अधिकारी एवं स्थानीय निर्वाचित जनप्रतिनिधि के द्वारा सत्यापन होना आवश्यक है। उक्त सत्यापन के अभाव में आपदा के दौरान करवाये गये कार्यों के भुगतान हेतु बजट की मांग पर विभाग द्वारा विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।

(भगवत सिंह)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि :- समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान को सूचनार्थ प्रेषित है।

शासन संयुक्त सचिव

Signature Not Verified

Digitally Signed by Bhagwat Singh
Designation : Joint Secretary To
Government
Date :30-07-2025 05:47:07

RajKaj Ref No.:
16877134
eSign DSC